नि/निगरानी/दतिया/भू०रा०/2017/1752

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– ..../I/2017 निगरानी

गुलाब खाँ पुत्र श्री रहमान खाँ निवासी अंगद कालौनी सेवढ़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश –प्रार्थी

बनाम

दिनांक 13-6-17 को श्री आनन्द दुबे अभि० द्वारा प्रस्तुत। 13-6-17 SO

1– कुंजेश प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी निवासी ग्राम मेवली कृषक मौजा दरयापुर तहसील सेवढ़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश –प्रतिप्रार्थी

2– जरीना बानो पत्नी श्री गुलाब खाँ निवासी अंगद कालौनी सेवढ़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश –प्रो.फार्मा प्रतिप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 29/05/2017 न्यायालय तहसीलदार सेवढ़ा प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2015–16 कुंजेश प्रताप सिंह बनाम जरीना बानो आदि।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि,

— 2 —

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(3)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निग0/दतिया/ भू0रा0/ 2017/1752

स्थान तथा दिनांक	गुलाब खां कार्यवाही तथा आदेश कुंजेश प्रताप सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
02 -02-18	आवेदक की ओर से श्री आनंद दुवे, अभि.उप. । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 का अवलोकन किया गया । प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत विवेचना किए जाने से यहां विवेचना को पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार गया गया है। विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	